**माननीय, *प्रेम चंद जैन और डी. एस. तेवतिया जे.जे.* के समक्ष**

**ओ. पी. भाटिया और अन्य, याचिकाकर्ता।**

***बनाम***

**हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी।**

**सिविल रिट याचिका *सं 2005* 1978 *का* 4689।**

**10 अगस्त, 1979।**

पंजाब *इंजीनियर्स सेवा वर्ग I पीडब्ल्यूडी (सिंचाई, शाखा) नियम, 1964-नियम 6 (ए) और (बी)* - भारत का संविधान, *1950* - अनुच्छेद 14 और 16 - नियम 6 (ए) के तहत निर्धारित डिग्री की योग्यता - क्या कक्षा 1 सेवा के लिए सभी नियुक्तियों के लिए - नियम *6* (ए) - *क्या अनुच्छेद 14* और 16 *का उल्लंघन है*।

*यह माना* जाता है कि पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स क्लास 1 पीडब्ल्यूडी (सिंचाई शाखा) नियम, 1964 के नियम 6 (ए), जब समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो किसी भी तरह का संदेह नहीं छोड़ता है कि खंड (ए) में निर्धारित योग्यता भी एक पदोन्नति द्वारा पूरी की जानी है और परिशिष्ट बी में निर्धारित डिग्री या अन्य योग्यता रखने का मतलब केवल सीधी भर्ती के लिए नहीं है। नियम के शुरुआती भाग में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास परिशिष्ट बी में निर्धारित विश्वविद्यालय की डिग्री या अन्य योग्यता न हो। 1964 के नियमों के नियम 6 में 'सीधे' शब्द को हटाना यह भी इंगित करता है कि लेगिसलैचर का इरादा सभी नियुक्तियों के लिए खंड (ए) के प्रावधान को लागू करना था, न कि केवल सीधी भर्ती के लिए। पुनः उच्चतम सेवा होने के कारण, कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री या अन्य योग्यताओं के कब्जे को कक्षा I सेवा में नियुक्ति से पहले एक आवश्यक पूर्व-आवश्यकता के रूप में प्रदान किया गया है। नियमों के निर्माताओं ने उन व्यक्तियों की इच्छा नहीं की जिनके पास परिशिष्ट बी में प्रदान की गई शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, उन्हें कक्षा 1 सेवा में नियुक्त किया जाए। वे नहीं चाहते थे कि एक अयोग्य इंजीनियर अधीक्षण अभियंता या मुख्य अभियंता बने। नियम 9 का परंतुक यह भी स्पष्ट करता है कि नियम 6 का खंड (क) न केवल सीधी भर्ती पर लागू होता है, बल्कि सभी सदस्यों के मामलों को श्रेणी 1 सेवा में नियुक्त करने के लिए शासित करेगा और किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रथम श्रेणी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्रता का दावा करने से पहले यह एक अनिवार्य शर्त है। इस प्रकार, इससे पहले कि कोई व्यक्ति कक्षा I सेवा में नियुक्त होने के योग्य होगा, उसे नियमों के नियम 6 (ए) में निर्धारित योग्यता प्राप्त करनी होगी,

(पैरा 10 और 11)

*और रूप* कि सेवा में नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय डिग्री निर्धारित करने वाले नियम 6 (ए) का प्रावधान कक्षा 1 सेवा में पदोन्नति के लिए विचार करने से इनकार या अधिकार नहीं है और इस तरह उक्त प्रावधान को मनमाना, अवैध या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है, 1950.

(पैरा 12)

*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227* के तहत याचिका *में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित की कृपा करे: -*

*(अ) उत्तरदाताओं से मामले के रिकॉर्ड को बुलाएं;*

*(आ) पीएसई वर्ग I नियमों के नियम* 6 (ए) *के प्रावधानों को रद्द करने वाला कोई भी उचित रिट, आदेश या निर्देश* संविधान के प्रावधानों के *अधिकारातीत होने के कारण जारी किया जाए;*

*(इ) नियम 6 (बी) के प्रावधानों को नियम 6 (ए) के प्रावधानों के विकल्प में माना जाए;*

*(ई) परमादेश की एक रिट जारी की जाए जिसमें प्रतिवादियों को एचएसई श्रेणी II सेवा के नियम* 9 *के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार करने और प्रकाशित करने और सीधी भर्ती के लिए याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता निर्धारित करने का निर्देश दिया जाए।*

*(उ) उत्तरदाताओं को उनकी वरिष्ठता के आधार पर कक्षा I सेवा में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने का निर्देश देना;*

*(ऊ) कोई अन्य उचित राहत जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, याचिकाकर्ताओं को दी जाए;*

*(ऋ) याचिकाकर्ताओं को उत्तरदाताओं पर प्रस्ताव की अग्रिम सूचना देने के लिए छूट दी जा सकती है;*

*(ऌ) याचिकाकर्ता की लागत भी याचिकाकर्ताओं को दी जा सकती है।*

कुलदीप सिंह, याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता, आरएस मोंगिया के साथ बार-एट-लॉ

नौबत सिंह, सीनियर डीएजी (एच), *प्रतिवादी नं.* 1 *और* 2.

जे.एल. गुप्ता, अधिवक्ता, *प्रतिवादी सं.* 3 *और* 4.

**निर्णय**

**प्रेम चंद जैन, जे.**

एक. हमारा यह निर्णय 1978 की सिविल रिट याचिका संख्या 4689, और 1973 की 1702 और 1973 की एलपीए संख्या 670 का निपटारा करेगा, क्योंकि इन सभी मामलों में कानून के सामान्य प्रश्न उठते हैं।

दो. पंजाब इंजीनियर्स सेवा वर्ग 1, पीडब्ल्यूडी (सिंचाई शाखा) नियम, 1964 (इसके बाद नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 6 की व्याख्या और संवैधानिक वैधता मुख्य विषय-मामले हैं जिनके लिए निर्धारण की आवश्यकता है।

तीन. पूर्वोक्त प्रश्नों का निर्णय करने के लिए 1978 के सीडब्ल्यूपी 4689 से कुछ तथ्यों का संदर्भ दिया जा सकता है। यद्यपि उपरोक्त मामलों के निर्णय के उद्देश्य से अभी तक एक बहुत लंबी याचिका का मसौदा तैयार किया गया है, फिर भी याचिका में दिए गए विस्तृत तथ्यों को पुन: प्रस्तुत करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है और यह हमारे उद्देश्य की पूर्ति करेगा यदि केवल कुछ प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है, जो निम्नानुसार हैं) -

चार. याचिकाकर्ता नंबर 1 ओपी भाटिया को 23 फरवरी, 1947 को पंजाब लोक निर्माण विभाग, सिंचाई शाखा में अनुभागीय अधिकारी के रूप में भर्ती किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता नंबर 2 बलबीर बहादुर सिंह को 6 अक्टूबर, 1949 को अनुभागीय अधिकारी के रूप में भर्ती किया गया था। याचिकाकर्ताओं को क्रमशः 10 अप्रैल, 1959 और 1 मार्च, 1960 से अनुभागीय अधिकारी के रूप में पुष्टि की गई थी। याचिकाकर्ता नंबर 1 को 21 नवंबर, 1960 को उप-विभागीय अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था और याचिकाकर्ता नंबर 2 को 28 मार्च, 1969 को उप-विभागीय अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। पंजाब राज्य के पुनर्गठन पर, याचिकाकर्ताओं की सेवाएं हरियाणा राज्य को आवंटित की गई थीं। याचिका में याचिकाकर्ताओं ने खुद को द्वितीय श्रेणी सेवा का सदस्य होने का दावा किया और उनकी शिकायत यह है कि नियमों के नियम 6 पर गलत व्याख्या के मद्देनजर उन्हें प्रथम श्रेणी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध करते हुए यह याचिका दायर की है कि आधिकारिक प्रतिवादियों को प्रथम श्रेणी की सेवा में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

पाँच. नियमों का नियम 6, जिसकी व्याख्या याचिकाकर्ताओं का पूरा मामला निर्भर करता है, निम्नानुसार है: -

"6. अर्हता--किसी *व्यक्ति को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह-*

1. इन नियमों के परिशिष्ट ख में निर्धारित विश्वविद्यालय डिग्री या अन्य योग्यताओं में से एक है, बशर्ते कि सरकार द्वितीय श्रेणी सेवा से संबंधित किसी विशेष अधिकारी के मामले में इस योग्यता को माफ कर सकती है;

2. श्रेणी II सेवा से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में, इन नियमों के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के लिए सेवा की उस श्रेणी में पूरी कर ली गई है, छह साल की सेवा और उस अवधि के बाद आठ साल की सेवा;

परंतु यदि लोकहित में किसी अधिकारी को पदोन्नत करना आवश्यक प्रतीत होता है तो केन्द्रीय सरकार, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, सामान्यतया या किसी व्यक्तिगत मामले में छह या आठ वर्ष की अवधि को उस सीमा तक घटा सकेगी जिसे वह वित्त विभाग के परामर्श से उचित समझे।

*खुलासा/-* छह या आठ साल की अवधि की गणना में इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अस्थायी इंजीनियर के रूप में प्रदान की गई किसी भी सेवा को ध्यान में रखा जाएगा।

3. सीधी नियुक्ति द्वारा सेवा में भर्ती होने वाला व्यक्ति होने के नाते स्थायी मेडिकल बोर्ड से परिशिष्ट सी में निर्धारित नियमों के अनुसार जांच के बाद मानसिक और शारीरिक फिटनेस का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है और चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा सक्रिय बाहरी कर्तव्यों के लिए सभी मामलों में फिट माना जाता है;

4. संतोषजनक चरित्र और पूर्ववृत्त वाला व्यक्ति है, जिसके संबंध में सत्यापन उपयुक्त सरकारी एजेंसी के माध्यम से व्यवस्थित किया जाएगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां सरकारी सेवा में उसके प्रवेश के समय ऐसा सत्यापन पहले ही किया जा सकता है;

5. एक से अधिक पत्नियाँ जीवित नहीं हैं या, एक महिला के मामले में, पहले से ही एक पत्नी वाले व्यक्ति से शादी नहीं की गई है:

परन्तु वह सरकार, यदि संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस शर्त के प्रचालन से छूट दे सकेगी।

6. नियम 6 की व्याख्या के सवाल पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि नियम 6 का खंड (ए) केवल सीधी भर्ती के मामलों पर लागू होता है जबकि खंड (बी) केवल पदोन्नति के मामलों पर लागू होता है और उक्त दो खंड एक दूसरे से स्वतंत्र हैं।

छः. दूसरी ओर, श्री नौबत सिंह, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि नियम में कोई अस्पष्टता नहीं है और उसी के सादे पढ़ने से पता चलता है कि किसी व्यक्ति को कक्षा

। सेवा में नियुक्त करने से पहले, उसके पास परिशिष्ट बी में निर्धारित विश्वविद्यालय की डिग्री या अन्य योग्यता होनी चाहिए। उनके अनुसार, सेवा में दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से नियम तैयार किया गया है। निजी प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री जेएल गुप्ता का भी यही तर्क था।

सात. पूरे मामले पर विचारशील विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के तर्क में काफी बल है।

आठ. प्रारंभ में यह देखा जा सकता है कि पंजाब इंजीनियर्स सेवा, वर्ग 1, पीडब्ल्यूडी (सिंचाई शाखा) हरियाणा पांचवां संशोधन नियम, 1975 के माध्यम से नियमों में किए गए संशोधन के लिए, याचिकाकर्ता श्रेणी 1 सेवा में नियुक्त होने के योग्य नहीं थे क्योंकि वे द्वितीय श्रेणी सेवा के सदस्य नहीं थे। उपर्युक्त संशोधन के माध्यम से नियम 2 के खंड (5) को निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था -

"(5) 'श्रेणी II सेवा', सेवा में पदोन्नति के प्रयोजन के लिए हरियाणा अभियंता सेवा, श्रेणी II (सिंचाई शाखा) के सदस्यों से मिलकर बनेगी; अस्थायी इंजीनियर, उप-विभागीय अधिकारियों को नियुक्त करना और सहायक डिजाइन इंजीनियरों को नियुक्त करना; हरियाणा अभियंता सेवा वर्ग-2, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) नियम, 1970 के नियम 6 के तहत निर्धारित कोटे से अधिक पदोन्नत लोगों को छोड़कर।

यह इस संशोधन के आधार पर है कि याचिकाकर्ता जो उप-विभागीय अधिकारियों को नियुक्त कर रहे थे, उन्हें प्रथम श्रेणी सेवा में पदोन्नति के लिए पात्र बनाया गया था। दूसरे शब्दों में, 5 दिसंबर, 1975 को जब यह संशोधन लागू हुआ, तब याचिकाकर्ताओं को प्रथम श्रेणी की सेवा में नियुक्ति का अधिकार मिला। यदि यह संशोधन अस्तित्व में नहीं आया होता, तो इस तथ्य के बावजूद कि वे उप-विभागीय अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे थे, वे सेवा के सदस्य नहीं थे और सेवा में नियुक्त होने के योग्य नहीं होते।

नौ. अब, पक्षों के लिए विद्वान वकील के संबंधित तर्कों पर सवाल जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या खंड (क) के तहत निर्धारित डिग्री की योग्यता रखने का मतलब केवल सीधी भर्ती के लिए है या कक्षा । सेवा के लिए सभी नियुक्तियों पर लागू होता है। मेरे विचार में, नियम, जब एक पूरे के रूप में पढ़ा जाता है, तो संदेह का कोई तरीका नहीं छोड़ता है कि खंड (ए) में निर्धारित योग्यता भी एक पदोन्नति द्वारा पूरी की जानी है और परिशिष्ट बी में निर्धारित डिग्री या अन्य योग्यता रखने का मतलब केवल सीधी भर्ती के लिए नहीं है। नियम के शुरुआती भाग में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास परिशिष्ट बी में निर्धारित विश्वविद्यालय की डिग्री या अन्य योग्यता न हो। यदि श्री कुलदीप सिंह के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमें नियम के शुरुआती भाग में, "कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा" शब्दों के बाद "सीधे" शब्द जोड़ना होगा। यह

कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं होगा, खासकर जब नियम किसी भी अस्पष्टता से ग्रस्त नहीं है। यह देखना उचित होगा कि वर्ष 1956 के नियमों में, जो 1964 में नियमों के प्रख्यापन से ठीक पहले लागू थे, धारा 7 ने नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित की और उस धारा का उद्घाटन भाग निम्नानुसार पढ़ता है: -

"किसी भी व्यक्ति को सीधे सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास इन नियमों के परिशिष्ट बी में निर्धारित विश्वविद्यालय की डिग्री या अन्य योग्यता न हो"।

1956 के नियमों का संदर्भ देते हुए, हम यह बताना चाहते हैं कि "सीधे" शब्द का विशेष रूप से नियम 7 के शुरुआती भाग में उपयोग किया गया था जबकि अब 1964 के नियमों के नियम 6 में, इस शब्द को हटा दिया गया है। इस विलोपन से यह भी संकेत मिलेगा कि विधानमंडल का इरादा सभी नियुक्तियों के लिए खंड (ए) के प्रावधान को लागू करना था, न कि केवल सीधी भर्ती के लिए; अन्यथा "सीधे" शब्द का उपयोग किया गया होता जैसा कि पहले के नियमों में उपयोग किया गया था।

दस. हम श्री नौबत सिंह से सहमत हैं कि प्रथम श्रेणी की उच्चतम सेवा होने के कारण इसके लिए कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री या अन्य अर्हताएं रखने का प्रावधान कक्षा I सेवा में नियुक्ति से पूर्व एक अनिवार्य शर्त के रूप में किया गया है। नियमों के निर्माताओं ने उन व्यक्तियों की इच्छा नहीं की, जिनके पास नियमों के परिशिष्ट बी में प्रदान की गई शैक्षिक योग्यता नहीं थी, उन्हें कक्षा I सेवा में नियुक्त किया जाए। वे नहीं चाहते थे कि एक अयोग्य इंजीनियर अधीक्षण अभियंता या मुख्य अभियंता बने। नियमों के निर्माताओं का यह आशय नियम 9 के परंतुक से स्पष्ट है जो सेवा के भीतर पदोन्नति की बात करता है, जो निम्नानुसार है: -

"9. सेवा में पदोन्नति: (1) उपनियम (2) और (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सेवा के सदस्य सेवा में किसी पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, अर्थात, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता:

परन्तु सेवा का कोई सदस्य, जिसकी दशा में नियम 6 के खण्ड (क) में उल्लिखित अर्हताओं का त्याग कर दिया गया है, अधीक्षण अभियंता या उससे ऊपर के पद पर पदोन्नति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसने आवश्यक अर्हताएं अर्जित नहीं कर ली हैं

* * *

परंतुक को पढ़ने से पता चलता है कि सेवा का कोई सदस्य अधीक्षण अभियंता या उससे ऊपर के पद पर पदोन्नति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने नियम 6 के खंड (क) में यथा उपबंधित आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं कर ली हो। नियमों के निर्माताओं ने अपना

इरादा स्पष्ट कर दिया है कि एक व्यक्तिगत मामले में जहां कक्षा 1 सेवा में नियुक्ति के समय नियम 6 के खंड (ए) की शर्त को माफ कर दिया जाता है, तो उच्च पद, यानी अधीक्षण अभियंता या उससे ऊपर के पद पर पदोन्नति का दावा करने से पहले नियुक्त व्यक्ति को आवश्यक योग्यता हासिल करनी होगी। यह प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि खंड (ए) न केवल सीधी भर्ती के लिए लागू होता है, बल्कि सेवा के सभी सदस्यों के मामलों को कक्षा 1 सेवा में नियुक्त करने के लिए शासित करेगा और किसी भी व्यक्ति द्वारा कक्षा 1 सेवा में नियुक्ति के लिए पात्रता का दावा करने से पहले यह एक आवश्यक शर्त है। नियम 6 का खंड (ए) सामान्य रूप से सभी मामलों से संबंधित है, जबकि खंड (बी) मामलों के एक विशेष वर्ग पर लागू होता है, अर्थात, पदोन्नति जिनके लिए उनके द्वारा संतुष्ट होने के लिए अतिरिक्त योग्यता प्रदान की जाती है। इस प्रकार, मैं मानता हूं कि किसी व्यक्ति को श्रेणी-1 सेवा में नियुक्त किए जाने के योग्य होने से पहले, उसके पास योग्यता होनी चाहिए। नियमों के नियम 6 (क) में विहित

ग्यारह. विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह द्वारा दिया गया एकमात्र अन्य तर्क यह था कि सेवा में नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री निर्धारित करने वाला नियम 6 (ए) याचिकाकर्ताओं की श्रेणी में कक्षा 1 सेवा में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार से वंचित है, जो द्वितीय श्रेणी सेवा से पदोन्नत हैं और इस तरह उक्त प्रावधान मनमाना और अवैध है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। विद्वान वकील का यह तर्क *जम्मू और कश्मीर राज्य* बनाम भारत *संघ और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर सीधे खारिज किए जाने योग्य है।त्रिलोकी नाथ खालसा आदि।* (1), जिसमें एक समान प्रश्न पर जो उनके आधिपत्य के समक्ष उत्तेजित था, यह इस प्रकार देखा गया था: -

"मामले के तथ्यों पर, प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करने की दृष्टि से किए गए शैक्षिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण को किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं कहा जा सकता है और किसी वर्गीकरण की वैधता का न्याय करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए सहायक अभियंताओं की सीधी भर्ती को प्रतिबंधित करने वाले 1939 के नियमों में प्रावधान, अतीत में स्नातकों की कमी और वर्तमान समय में उनका प्रचुर प्रवाह सभी ऐसे मामले हैं जो वैध रूप से नियम बनाने वाले प्राधिकरण के फैसले में प्रवेश कर सकते हैं। इन तथ्यों के आलोक में, उस निर्णय को मनमौजी या काल्पनिक के रूप में नहीं माना जा सकता है। दक्षता जो एक उच्च मानसिक उपकरण के परीक्षण में आती है, उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वालों के लिए पदोन्नति के अवसर को सीमित करके यथोचित रूप से प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है और हम वर्गीकरण की तर्कसंगतता से चिंतित हैं, न कि वर्गीकृत करने के निर्णय की सटीक सटीकता के साथ और न ही इस सवाल के साथ कि वर्गीकरण वैज्ञानिक है या नहीं। इस तरह के परीक्षणों को लंबे समय से खारिज कर दिया गया है। वास्तव में अमेरिकी फैसले यहां तक कह गए हैं कि वर्गीकरण अमेरिकी संविधान के

14 वें संशोधन के खिलाफ तभी अपराध करेगा जब यह 'विशुद्ध रूप से मनमाना, दमनकारी या मनमौजी' हो, *जोसेफ रेडिस* वी। *न्यूयॉर्क राज्य के लोग* (2), *अमेरिकन शुगर रेफरी।* बहुत। *लुइसियाना* (3) और संविधान की चुनौती का सामना करने के लिए उत्पन्न असमानता 'वास्तव में और स्पष्ट रूप से अनुचित और मनमानी' होनी चाहिए *अर्कांसस प्राकृतिक कैस कं।* बहुत। *रेल सड़क आयोग* (4)। हमें उस हद तक जाने की आवश्यकता नहीं है जहां तक दो वर्गों-स्नातकों और डिप्लोमा-धारकों के बीच अंतर अलग-अलग उपचार के लिए एक उचित आधार प्रस्तुत करते हैं और आक्षेपित प्रावधान के उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध रखते हैं।

वर्गीकरण की वैधता निर्धारित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा शैक्षिक योग्यता को एक सुरक्षित मानदंड के रूप में मान्यता दी गई है। मैसूर *राज्य* में वी। *पी. नरसिंह राव* (5), जहां ट्रेसर्स के कैडर को दो में पुनर्गठित किया गया था, एक में उच्च वेतनमान के साथ मैट्रिक ट्रेसर और दूसरे को निचले पैमाने पर गैर-मैट्रिक से मिलकर बनाया गया था, यह माना गया था कि अनुच्छेद 14 और 16 चयनात्मक परीक्षणों के निर्धारण को बाहर नहीं करते हैं और न ही वे सरकार को 1 से रोकते हैंप्रश्नाधीन पद के लिए अर्हताएं निर्धारित करना। इसलिए, सरकार उच्च शैक्षिक अर्हता वाले अभ्यथयों को वरीयता देने के लिए स्वतंत्र थी। टीएन *गुरदास राम* वि. *भारत संघ* (6) के मामले में, यह देखा गया था कि:

'वह राज्य, जो विभिन्न परिस्थितियों से उत्पन्न विविध समस्याओं का सामना करता है, अपने विभिन्न विभागों में पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए सर्वोत्तम सेवा प्राप्त करने के लिए दक्षता और अन्य अर्हताओं की शर्तें निर्धारित करने का हकदार है।

भारत संघ बनाम *भारत संघ* में। *डा (श्रीमती) एस बी कोहली (7*) के अनुसार, एक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम जिसमें अस्थि रोग के प्रोफेसर के पास विशेष विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, को इस आधार पर बरकरार रखा गया कि ऐसी आवश्यकता के आधार पर किया गया वर्गीकरण प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के संदर्भ के बिना नहीं था और भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। यह तर्क कि डिग्री योग्यता उपयुक्तता का एकमात्र मानदंड नहीं था, संक्षिप्त रूप से 'अजीब' के रूप में उत्तर दिया गया था।

बारह. याचि
काकर्ताओं के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह ने *रोशन लाल टंडन* बनाम भारत *संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया।भारत संघ* और अन्य, (8) *और मोहम्मद शुजात एयू और अन्य* वी। *भारत संघ और अन्य,* (9)। उपरोक्त दो निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि यह मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि उन मामलों के तथ्य पूरी तरह से अलग और अलग-अलग हैं।

तेरह. निर्णय के साथ भाग लेने से पहले यह देखा जा सकता है कि श्री नौबत सिंह, विद्वान

वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, ने बार में बहुत निष्पक्ष रूप से कहा था कि याचिकाकर्ताओं को केवल इसलिए अयोग्य पाया गया क्योंकि वे नियम 6 के खंड (ए) में निर्धारित शर्त को पूरा नहीं करते थे और जब भी वे इस शर्त को पूरा करते हैं, तो कार्यवाहक उप-विभागीय अधिकारियों के रूप में उनके पिछले अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा और कक्षा 1 सेवा के लिए उनकी पात्रता होगी कानून के अनुसार माना जाए। श्री नौबत सिंह द्वारा दिए गए इस कथन के मद्देनजर, श्री कुलदीप सिंह ने नियम 6 के स्पष्टीकरण के खिलाफ अपने तर्क को दबाया नहीं।

चौदह. किसी अन्य बिंदु का आग्रह नहीं किया गया था।

पंद्रह.ऊपर दर्ज कारणों के लिए, यह याचिका और साथ ही 1973 की सीडब्ल्यूपी संख्या 1702 और 1973 की एलपीए संख्या 670 विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है, लेकिन मामले की परिस्थितियों में हम लागत के रूप में कोई आदेश नहीं देते हैं।

(एक) 1974 (I) एसएलआर 536.

(दो) (1923) 68 कानून एड।

(तीन) (1900) 45 कानून एड। 103.

(चार) (1923) 67 कानून एड।

(पाँच) (1968) 1 एससीआर 407।

(छः) (1970) 3 एससीआर 481, पृष्ठ 488 पर।

(सात) एआईआर 1973 एससी 811 (818)।

(आठ) एआईआर 1967 एससी 1889।

(नौ) 1974(2) एसएलआर 508.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा  में  अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy